



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): FARIDABAD P.S. (थाना): BHUPANI Year (वर्ष): 2017
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0440 Date (दिनांक): 15/12/2017
13:42

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 15/12/2017 Time (समय): 09:15 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Time (समय): 15/12/2017
13:13 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 8 Km(s) Beat No. (बीट सं.): 40

(b) Address (पता): SECTOR 87 FARIDABAD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ABNISH KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1972 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	B6/105, SRS ROYAL HILLS SEC 87 FBD, BHUPANI, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	B6/105, SRS ROYAL HILLS SEC 87 FBD, BHUPANI, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	अनिल जिन्दल		
2	विनोद जिन्दल		
3	राजेश सिगला		
4	नानक चन्द तायल		
5	बिशन बंसल		
6	ललित कुमार		
7	दलीप सिंह		
8	सुनील		
9	कम्पनी सैक्ट्री		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे श्री मान पुलिस कमिश्नर महोदय सैक्टर 21 सी फरीदाबाद । विषय – फरीदाबाद सैक्टर 87 मे एस.आर.एस. रियल एस्टेट द्वारा प्रार्थी सोसायटी की जमीन बैंक मे गैर कानूनी तौर पर गिरवी रख कर एक सौ चार करोड रुपये का कर्जा लेकर पैसा हड़पने के आरोप आपराधिक मुकदमा दर्ज करने बारे प्रार्थना पत्र । माननीय महोदय , विन्नम निवेदन है कि प्रार्थीगण सैक्टर 87 फरीदाबाद स्थित एस.आर.एस रायल हिल्स सोसाईटी के निवासी है । प्रार्थीगण ने बिल्डर से 2 बी.एच.के , 3 बी.एच.के , 4 बी.एच.के , फ्लैट एवम स्वतंत्र फ्लोर के रूप मे रिहायशी यूनिट खरीदी हुई है । उपरोक्त बिल्डर (SRS Real Estate) ने प्रार्थीगण फ्लैट धारको को धोखे से गिरवी रखी हुई जमीन पर फ्लैट बेच दिये ।इस बारे फ्लैट धारको को अंधेरे मे रखा गया कि उपरोक्त जमीन जिस पर कि फ्लैट बने थे और फ्लैट को प्रोजेक्ट पहले से ही बैंक मे गिरवी था । इस बाबत बिल्डर ने एग्रीमेन्ट मे भी कोई जिक्र ना किया । बिल्डर ने फ्लैट धारको से पूरे पैसे वसूल कर अन्य प्रोजेक्ट मे लगा दिया और बैंक का कर्जा ना दिया । कानूनन फ्लैट धारको वसूल किया गया पैसा पहले बैंक के कर्जे को खत्म करने के लिए बैंक मे जमा किया जाना चाहिये था । वैसा ना करके बिल्डर ने हजारो फ्लैट धारको के साथ धोखाधडी की है और पैसे का गलत उपयोग किया है । उपरोक्त फ्लैट धारको ने अपनी उम्र भर की खुन पसीने की कमाई से एवम विभिन्न वित्तीय संस्थाओ के द्वारा प्रदत्त लोन से बिल्डर को पूरा पैसा अदा करने के बाद Occupation letter एवम Possession हासिल किया है और लगातार कई सालो से इस सोसायटी मे रह रहे है । एस.आर.एस. रियल एस्टेट (बिल्डर) ने आज तक फ्लैट धारको के हक मे पूरा पैसा लेने के बावजूद भी रजिस्ट्री नही करवाई । अब दिनांक 21.11.2017 को कैनरा बैंक की कार्पोरेट ब्रांच शाखा nit फरीदाबाद द्वारा SECURITIZATION RECONSTRUCTION OF FINACIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY ACT 2002 (SARFESI ACT) के अन्तर गत हमारी सोसाईटी के सभी रहवायो को नोटिस जारी किया है । नोटिस मे लिखा है कि बिल्डर एस.आर.एस रियल एस्टेट प्राईवेट लि0 ने सोसाईटी की जमीन एवम फ्लैट गिरवी रख कर कैनरा बैंक से 1,04,22,53,000/- (एक सौ चार करोड बाईस लाख तिरपन हजार रुपये) का कर्जा लिया हुआ है । जिसके बारे मे कैनरा



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

बैंक ने 20.02.17 को नोटिस देकर बिल्डर से उपरोक्त राशि जमा करने को कहा था। मगर इस बारे में बैंक ने सोसायटी में रहने वाले करीब 1400 फ्लैट धारकों को कोई सूचना नहीं दी। जो की कानूनी तौर पर जरूरी है। कैनरा बैंक ने दिनांक 21.11.17 को जारी किये नोटिस में भी आम पब्लिक को हमारी सोसाईटी में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त से सावधान किया है। और नोटिस में गलत ब्यानी की है कि कैनरा बैंक ने हमारी सोसाईटी का कब्जा ले लिया है। इस प्रकार माननीय प्रधानमन्त्री के 2022 तक सभी को आवास मोहिया करने की मोहिम पर चल रहे उनके सारे प्रयोसो पर कैनरा बैंक और एस.आर.एस रियल स्टेट (बिल्डर) पानी फेर रहे हैं। बिल्डर ने सारे पैसे फ्लैट धारकों से लेने के बाद भी फ्लैट धारकों के हक में रजिस्ट्री / ब्यानामा न करवाया है। जिसका सीधा-सीधा नुकसान सरकार को राजस्व को तौर पर हो रहा है। यहां यह बात काबिले गौर है कि यह नोटिस कर्जदारों / जमानती और आम जनता के लिए है। कोई भी नोटिस आज तक सोसाईटी के निवासीयों को नहीं मिला। सोसाईटी के फ्लैट धारकों ने कैनरा बैंक से अपना फ्लैट गिरवी रखकर कर्जा नहीं लिया। कर्जा एस.आर.एस रियल एस्टेट ने कैनरा बैंक से जमीन और फ्लैट का प्रोजेक्ट गिरवी रख कर लिया था। जो गैर कानूनी है अब कैनरा बैंक इस गैर कानूनी तरीके से दिये गये कर्ज को बिल्डर से मिली भगत करके इस ठिकरा सोसाईटी के निवासियों के सर पर फोड़ कर गैर कानूनी तरीके से हमें बेदखल करना चाहते हैं। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया से स्पष्ट है कि बिल्डर द्वारा कैनरा बैंक में गैर कानूनी ढंग से सोसाईटी की जमीन को गिरवी रखा गया और बिल्डर ने फ्लैट धारकों से फ्लैट का पुरा पैसा लिया। बिल्डर ने फ्लैट धारकों से तकरीबन दो सौ करोड़ रुपये से उपर की रकम जमा की और उस पैसे से बैंक से मिली भगत करके बैंक के एक सौ चार करोड़ रुपये वापस न करके उस पैसे से अपने अन्य बिजनेस में लगाया बिल्डर ने यह पैसा एस.आर.एस. सिनेमा, एस.आर.एस मोल, एस.आर.एस वैल्यू बाजार, एस.आर.एस जैवेलरी और अन्य कामों में ला गया, उपरोक्त सारे कृत्य बिल्डर के अपराधिक कृत्यों को साबित करने के लिए काफी हैं। बिल्डर द्वारा फ्लैट धारकों द्वारा वसुले गये पैसे से विदेशों में भी व्यवसाय जमा रखा है। जिसकी वजह से व विदेश भी जाता रहता है। अतः प्रार्थान है कि बिल्डर के मैनेजिंग एवंम एक्जीक्यूटिव ड्रारैक्टर्स के पास पोर्ट भी पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिये जाये ताकि वो विदेश न भाग सके। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण जिन्होंने कि अपनी सारी उम्र की गाढी कमाई को अपने परिवार के लिए आशियाना बनाने में खर्च कर दिये हैं। उन्हें बैधर होने से बचाया जाये। सरकार की तरफ से बैंक और बिल्डर के खिलाफ मिली भगत करके फ्लैट धारकों का करीबन 250 करोड़ रुपया हड़पने के आरोप में कार्यवाही की जाये।



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

अतः जनाब से प्रार्थना है कि निम्न व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाये । .1. अनिल जिन्दल पता एस.आर.एस टावर , मेवलामहराजपुर मेट्रो स्टेशन के सामने , मथूरा रोड फरीदाबाद । वा मकान न0 538/14 फरीदाबाद । पद – मैनेजिंग ड्रैक्टर , 2. विनोद जिन्दल पता मकान न0 538/14 फरीदाबाद ,एग्जीक्यूटिव ड्रैक्टर 3. राजेश सिगला पता मकान न0 207 सैक्टर 9 फरीदाबाद । ड्रैक्टर । 4. नानक चन्द तायल पता मकान न0 202 सैक्टर 9 फरीदाबाद , ड्रैक्टर । 5. बिशन बंसल पता मकान न0 डी0 -2/54 DLF सैक्टर 10 फरीदाबाद , ड्रैक्टर । 6. ललित कुमार पता मकान न0 425 वार्ड न0 5 मैन बाजार बल्लभगढ । ड्रैक्टर । 7. दलीप सिंह पता मकान न0 1/2, गांव फिरोजपुर कला त0 बल्लभगढ फरीदाबाद । ड्रैक्टर । ,8. सुनील पता उंचा वाला मोहल्ला तिगांव फरीदाबाद , ड्रैक्टर । 9. कम्पनी सैक्ट्री । S.D ABNISH KUMAR R/O RWA PRESIDENT SRS ROYAL HILLS B6/105 FBD. MOB. 9811912105. अज थाना :- आज एक नम्बरी दरखास्त 3910 – CP दिनांक 04.12.17 वा शिकायत शाखा न0 8024/CC/P DT. 30.11.17 बा आदेस मु0 दर्ज होने हेतु थाना पर प्राप्त होने पर उपरोक्त दरखास्त पर मुकदमा न0 440 DT 15.12.17 U/S 406/420/120B IPC PS BHUPANI FBD दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR कि प्रतियां नियमानुसार कम्प्युटर द्वारा तैयार कि जाकर बजरीया डाक से सम्बन्धित अफसरान बालान कि सेवा मे भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल दरखास्त SI गुरचरण सिंह के हवाले की गई है । जो CCTNS मे id न होने के कारण I/O ASI किमती लाल की ID मे मुकदमा दर्ज किया गया है । नोट- यह मुकदमा ASI राजेन्द्र कुमार की हाजरी मे दर्ज किया जा रहा है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
kimti lal



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

No. (सं.): 1862 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression

of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MAHESH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PINSPR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि जात / देखा गया))



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1972				Is Proxitted: Yes
2	Male	1979				Is Proxitted: Yes
3	Male	1967				Is Proxitted: Yes
4	Male	1975				Is Proxitted: Yes
5	Male	1977				Is Proxitted: Yes
6	Male	1975				Is Proxitted: Yes
7	Male	1972				Is Proxitted: Yes
8	Male	1972				Is Proxitted: Yes
9	Unknown	1972				Is Proxitted: Yes
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	

